



बैंक ऑफ बड़ोदा  
Bank of Baroda

HO: BR: 106: 153

07.08.2014

ISSUED BY  
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DIVISION  
HEAD OFFICE, BARODA

SUB/FILE: PERS -4

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Dear Sir,

Re: Dearness Relief payable for the period from August 2014 to January 2015 to :

- (A) Surviving pre-1.1.1986 retirees of our Bank
- (B) Surviving spouses of pre- 1.1.1986 retirees of our Bank who are in receipt of Ex-gratia.

As you are aware, an ex-gratia payment to surviving pre- 01.01.1986 retirees is being released in terms of the directives from Government of India.

We have been advised by Indian Banks' Association that Dearness Relief payable to such retirees for the period from August 2014 to January 2015 would be as under:-

Applicable CPI Average		Amount of Ex-gratia per month	Rate of Dearness Relief	Amount of Dearness Relief per month	Total Ex- gratia amount including Dearness Relief per month
		Rs	%	Rs	Rs
5569	Pre 01.01.1986 retirees	350	832.14	2912	3262
	Surviving spouse of pre 01.01.1986 retirees	175	832.14	1456	1631

We request you to please take a careful note of above revision in the Dearness Relief payable to surviving pre- 01.01.1986 retirees who are drawing such ex-gratia amount at your branch. We reiterate that the amount is to be debited to Profit & Loss Account at your branch and NOT to G/L Bank of Baroda Staff Pension Paid Account.

Yours faithfully,

  
(V.D. Vashi)  
ASST. GENERAL MANAGER  
(HRM & Terminal Benefits)



**बैंक ऑफ़ बड़ौदा**  
**Bank of Baroda**

सं.एचओ:बीआर:106:153

07/08/2014

मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाग  
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा  
द्वारा जारी

सब/फाइल:पीईआरएस-4

भारत स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र

प्रिय महोदय,

विषय: अगस्त 2014 से जनवरी 2015 तक देय मंहगाई राहत

क. 1.1.1986 से पूर्व हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों को

ख. 1.1.1986 से पूर्व हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति/पत्नी जिन्हें अनुग्रह सहायता प्राप्त है।

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों को अनुग्रह सहायता राशि भुगतान की जा रही है।

भारतीय बैंक संघ ने हमें सूचित किया है कि: अगस्त 2014 से जनवरी 2015 तक के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय मंहगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

लागू सीपीआई औसत		अनुकंपा आधारित राशि प्रति माह	मंहगाई राहत की दर	मंहगाई राहत की राशि प्रति माह	मंहगाई भत्ता राहत सहित कुल अनुकंपा आधारित राशि प्रति माह
		रु.	%	रु.	रु.
5569	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	832.14	2912	3262
	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी के उत्तरजीवी पति/पत्नी	175	832.14	1456	1631

हमारा आपसे अनुरोध है कि 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों, को जोकि आपकी शाखा से ऐसी अनुग्रह सहायता राशि आहरित कर रहे हैं, उन्हें देय मंहगाई राहत में हुए संशोधन को सावधानीपूर्वक नोट करें। हम पुनः दोहराते हैं कि यह राशि म/ब बैंक ऑफ़ बड़ौदा पेंशन भुगतान खाते में नहीं बल्कि आपकी शाखा के लाभ और हानि खाते में नामे की जानी चाहिए।

भवदीय,

  
(वी.के.शर्मा)

सहायक महाप्रबंधक  
(मासंप्र और सेवांत लाभ)

